न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 6/2017 (बांसवाड़ा डिक्री)

भरत निनामा पिता नवल किशोर निनामा, निवासी रामोर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. जेदीया पिता कानीया, जाति भील, निवासी रामोर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. लक्ष्मण पिता कानीया, जाति भील, निवासी रामोर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा दिनांक 24.11.2015 प्रकरण सं0 42/2013

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 27–01–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजियात जिनका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित है, कुल किता 13 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा ग्राम झांतला में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी का कोई हक व अधिकार नहीं है, किन्तु प्रतिवादी वादीगण की उक्त आराजी में से आराजी नंबर 20 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा में अनाधिकृत हस्तक्षेप करते हैं। अतः प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–11–2015 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21–03–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित

हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि पक्षकारान एक ही खानदान के होकर विवादित आराजी नंबर 20 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पर वह अपने पूर्वजों के समय से काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकियात कायम करने के बावजूद तनकीवार विवेचन नहीं किया न ही अपने निर्णय में तनकियों का कोई उल्लेख किया है तथा प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हालांकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय राजस्व कैम्प में पारित किया गया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी से मौके की जांच करवाकर मौके पर वादीगण का कब्जा माना है। जब वादीगण का विवादित भूमि का कब्जा है एवं जमाबन्दी अनुसार वे विवादित भूमि के खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किये जाने में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–11–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

भरत पिता नवल किशोर निनामा, निवासी रामोर, तहसील व जिला बांसवाड़ा बनाम **जेदीया पिता कालीया, जाति भील, निवासी रामोर, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**6/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **बांसवाड़ा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**24**.....माह.....**11**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**....माह.....**01**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री जयेन्द्र पुरोहित**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री मुकेश द्विवेदी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–11–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**01**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.27 14:27:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: